मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्रमांक 6-3-77-3-एक

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 1977

प्रति,

राज्य शासन के समस्त विभाग,
राजस्व मंडल के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:— आपराधिक मामलों में दोष-सिद्धि पाए जाने पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में.

संदर्भ:— इस विभाग का दिनांक 27 जुलाई 1966 का ज्ञापन क्रमांक 1576-2231-एक(3).

सन्दर्भ में उल्लेखित ज्ञापन का अधिक्रमण करते हुए, राज्य शासन द्वारा आपराधिक मामलों में दोष-सिद्ध पाए जाने वाले शासकीय सेवक के विरुद्ध किस प्रकार कार्यवाही की जाय, इस संबंध में सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं:—

"जब किसी शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा किसी दण्डित आरोप के संबंध में दोष-सिद्ध ठहराया गया हो, तो अनुशासिक प्राधिकारी को चाहिए कि वे उस शासकीय सेवक के संबंध में जो निर्णय दिया गया है, उसका तुरन्त अध्ययन करे. ऐसे अध्ययन के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि उसे जिस आचरण के कारण दोष-सिद्ध पाया गया है, वह ऐसा है कि उससे उसका नैतिक पतन होने का आभास होता हो और वह लोक हित में सेवा में रखने के योग्य नहीं है, तो अनुशासिक प्राधिकारी को ऐसे शासकीय सेवक के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 19 (एक) के अन्तर्गत उचित शास्ति अधिरोपित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करना चाहिए. इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए इस बात का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा कि उस शासकीय सेवक ने अपने दोष-सिद्धि के विरुद्ध अपील दायर कर दी है और इसलिए उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती. यदि किसी शासकीय सेवक ने अपील प्रस्तुत कर दी हो, तो भी उस पर उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत उचित शास्ति अधिरोपित की जा सकती है. इस प्रकार शास्ति अधिरोपित करने से पहले आवश्यकतानुसार लोक सेवा आयोग से भी परामर्श करना जरूरी है. यदि अपील में, उस शासकीय सेवक को निर्दोष पाए जाने के कारण, निचले न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है तो अनुशासिक प्राधिकारी भी निचले न्यायालय के दोष-सिद्धि निर्णय के आधार पर अपने पूर्व में पारित शास्ति संबंधी आदेश को निरस्त कर जिस अवधि में उसे पदच्युत या सेवा समाप्ति के आदेश के कारण सेवा से अलग रहना पड़ा था, इस अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य की अवधि मानकर पूर्ण वेतन एवं भत्तें का भुगतान करना चाहिए."

2. सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार के मामले में उपर्युक्त अनुदेश के अनुसार ही कार्यवाही करें. इस अनुदेश के पालन न करने पर जिम्मेदार शासकीय सेवक से इस अनुदेश को उपेक्षा करने के कारण शासन को जितना वित्तीय नुकसान होगा, वह वसूल किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, वह अनुशासनिक कार्यवाही का भी भागी हो सकता है.

हस्ता./-
(जी. बेंकन्ना)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.